अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नेछवा

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)

1. घीसाराम पुत्र दोलाराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम शोला तहसील नेछवा जिला सीकर

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. विजेन्द्र कुमार पुत्र नागरमल जाति बलाई निवासी ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर
2. गोमतीदेवी पत्नि महिपाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम शोला तहसील नेछवा जिला सीकर
3. रूकमणी पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी ग्राम शोला तहसील नेछवा जिला सीकर हाल आबाद पत्नि बुद्वाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पार्वतीसर तहसील सालासर जिला चूरू
4. कमला पुत्री गिरधारीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम शोला तहसील नेछवा जिला सीकर हाल आबाद पत्नि ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी ग्राम काछवा तहसील नेछवा जिला सीकर
5. मुन्नी देवी पत्नि दानाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम शोला तहसील नेछवा जिला सीकर
6. महीपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम शोला तहसील नेछवा जिला सीकर
7. राजेश पत्नि महेश कुमार जाति मेघवाल निवासी ग्राम शोला तहसील नेछवा जिला सीकर
8. सुलतान पुत्र गिरधारीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम शोला तहसील नेछवा जिला सीकर
9. सोहनी देवी पुत्री पेमाराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम शोला तहसील नेछवा जिला सीकर हाल आबाद पत्नि गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम डोटासरा तहसील नेछवा जिला सीकर
10. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गाड़ोदा
11. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मंगलूणा
12. पटवारी, पटवार हलका गाड़ोदा तहसील नेछवा जिला सीकर
13. तहसीलदार नेछवा

– प्रतिवादीगण –

<u>दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राज. का. अधिनियम</u>

<u>दावा संख्या–123 / 2024</u>

उपस्थित – वकील वादी श्री रामचन्द्र कुमावत
वकील प्रतिवादी सं0 9 – श्री उम्मेदसिंह शेखावत

दिनांक : 21.10.2024

तहसीलदार नेछवा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव कमांकः भू0अ0 / 2024 / 1947 दिनांक 04.10.2024 के अनुसार वकील उभयपक्ष की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती है। तहसीलदार नेछवा को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विभाजन के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी का भाग रहेगा।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नेछवा (सीकर)

Scanned with CamScanner

मुहर

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	रुपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	रुपया
मीजान		मीजान	

यह डिक्री मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.10.2024 को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नेछवा (सीकर)

Scanned with CamScanner

धीलाराम / विरेन्द्र   SDO नेछवा - दावा - 123/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
21.10.24	पत्रा० पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। वकील वादी ने प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रा० का अवलोकन किया। तहसीलदार नेछवा से वि० प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। वकील प्रतिवादी सं. 9 ने तहसीलदार से प्राप्त वि०प्र० पर अनापत्ति पेश की। प्रतिवादी सं. 1 ता 8, 10, 11 की तामील पूर्व में हो ~~चुकी है~~ अतः न्यायालय मे हाजिर नही होने से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नेछवा से प्राप्त वि० प्रस्ताव क्रमांक/भू अ/2024/1947 दिनांक 5.10.24 के अनुसार वकील उभयपक्ष की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती है। तहसीलदार नेछवा को तहरीर जारी हो। पत्रा० फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे हस्ताक्षर से आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। [signature]

Scanned with CamScanner